

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :- राजस्व विविध :- 806/2016

1. बलराजसिंह पुत्र सुखमन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 12 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर।

-- प्रार्थी

--:: बनाम ::--

2. स्टेट आफ राजस्थान- जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

--:: निर्णय ::--

दिनांक :- 28.10.2016

प्रार्थी मनजीतसिंह पुत्र सुखमन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 12 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर के खाता दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में एवं पटवारी हल्का 8 एच.एच. व भू अभिलेख निरीक्षक बुर्जवाली की रिपोर्ट तथा उपतहसीलदार (राजस्व) चूनावढ़ की रिपोर्ट क्रमांक 137 दिनांक 15.07.2016 के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर तथा प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.10.2016 को प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 12 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2036-2069 के खाता संख्या 58 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर आदेश दिये जाते है, कि प्रार्थी द्वारा निम्न खाता की भूमि पर यदि किसी बैंक से ऋण आदि ले रखा हो तो भार मुक्त होने पर निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	चक 12 एच.एच.तहसील व जिला श्रीगंगानगर	58	बलराजसिंह पुत्र सुखविन्द्रसिंह	बलराजसिंह पुत्र सुखमन्द्रसिंह

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर